सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 98 / 2017 अपील (RCMS-00047/2017)
पंजीयन दिनांक – 24.07.2017
निर्णय दिनांक – 11.09.2018

1. श्रीमती प्रमिला बेन पत्नि छगनलाल शाह, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द

– अपीलान्ट

बनाम

1. नगरपालिका, देवगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. श्री दीपक कुमार पिता मांगीलाल उपाध्याय, निवासी लसानी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री कमेलश चौहान – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवगढ़ जिला राजसमन्द का प्रकरण संख्या 06 / 2013–14 निर्णय दिनांक 30.01.2014

निर्णय

दिनांक 11.09.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवगढ़ जिला राजसमन्द का प्रकरण संख्या 06 / 2013–14 निर्णय दिनांक 30.01.2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम देवगढ़, तहसील देवगढ़ में स्थित कृषि भूमि, जिसके आराजी नम्बर 4042 व 4043 है। प्राधिकृत

अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि के 2040 वर्गफीट क्षेत्र का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 30.01.2014 को पारित किया गया। अपीलार्थीया की आवासीय रूपान्तरित भूमि को नगरपालिका, देवगढ़ द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी करने बाबत अपीलार्थीया की पट्टे की भूमि एवं आम रास्ते की भूमि को शामिल कराते हुए आदेश धारा 90–क पारित किये जाने से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 27.08.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट को निर्णय पारित होने से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। निर्णय पारित किये जाने की दिनांक तक लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट का आबादी रूपान्तरणशुदा भुखण्ड अन्दर हल्का आबादी नगरपालिका क्षैत्र देवगढ़, राजस्व ग्राम देवगढ़ में स्थित है। अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी को नगरपालिका, देवगढ़ द्वारा आवासीय रूपान्तरणशुदा भुखण्ड का पट्टा जारी किया गया, और उक्त पट्टे की भूमि को अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय कर मौके पर काबिज है। अपीलार्थीया की आवासीय रूपान्तरित भूमि को नगरपालिका, देवगढ़ द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी करने बाबत अपीलार्थीया की पट्टे की भूमि एवं आम रास्ते की भूमि को शामिल कराते हुए 90–क का आदेश जारी किया है, जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होकर काबिल निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट–2 का प्रकरण ही गलत दर्ज कर दिया गया, वह भूमि का खातेदार नहीं होते हुए भी उसके नाम से धारा 90–क की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामलें में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति का निस्तारण नहीं किया। लोकसूचना के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से आपत्ति पेश की गयी और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि मौके पर कोई भुखण्ड अवस्थित में नहीं है, मौके पर सड़के बनी हुई है, इसलिए भुमि रूपान्तरण नहीं किया जावे। फिर भी 90–क का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आराजी नम्बर 4042, 4043 जो कि बडा रकबा है, लेकिन उसमें से मात्र 202, 1838 की 90–क की कार्यवाही करने का आदेश किया जो विधि के विपरित है, कानूनन सम्पूर्ण आराजी की 90–क की कार्यवाही होती है, किसी विशेष भाग का आदेश कानूनन पारित नहीं किया

जा सकता है। सम्पूर्ण खसरा का प्लान स्वीकृत किया जाना था, जो नहीं किया गया। कार्यवाही से पूर्व नगर नियोजन विभाग से लेआउट प्लान स्वीकृत नहीं करवाया गया है। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आगे पट्टा जारी करने एवं निर्माण स्वीकृति करने की कार्यवाही की जा रही है, जो विधि के विपरित है। उक्त आदेश से जारी पट्टे से अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि समाप्त होती है। आदेश की जानकारी होते ही शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई जिस हेतु प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा आवेदन करने उपरान्त राजस्व ग्राम देवगढ़, तहसील देवगढ़ में स्थित कृषि भूमि, जिसके आराजी नम्बर 4042 व 4043 है, के 2040 वर्गफीट क्षेत्र का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2014 पारित किया गया। आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकसूचना का अखबार में प्रकाशन कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार अपीलान्ट की आपत्ति प्राप्त होने पर उस पर विचार कर पूर्ण विवचेन किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण कर धारा अन्तर्गत 90–क आदेश दिनांक 30.01.2014 को पारित किया गया, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर